POLITICAL SCIENCE Dep.
B.A-I (Hons), Paper-I

Dr. HUSNA ARA
Asst. Professor
Dr. L.K.V.D. College, Tajpur,
Samastipur

सम्प्रभुता का एकत्ववादी सिद्धांत

सम्प्रभुता के एकत्ववादी सिद्धांत के समर्थकों का मानना है कि सम्प्रभुता अविभाज्य होती है। इसका विभाजन नहीं हो सकता। प्रभुत्व शक्ति का आदेश कानून है और इसकी अवहेलना नहीं की जा सकती।

सम्प्रभुता के एकत्ववादी सिद्धांत के प्रबल समर्थक जॉन आस्टिन है। उन्होंने अपनी पुस्तक 'Lectures on Jurisprudence' में सम्प्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनका मानना है कि 'उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश ही कानून होता है'। अपने इसी विचार के आधार पर आस्टिन ने सम्प्रभुता के एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया।

आस्टिन के सम्प्रभुता संबंधी विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक स्वतंत्र राजनीतिक समाज अर्थात् राज्य में आवश्यक रूप से कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह सम्प्रभु होता है। प्रत्येक राजनीतिक समाज में प्रभुत्व शक्ति उसी प्रकार अनिवार्य है जिस प्रकार पदार्थ के किसी पिण्ड में आकर्षण केंद्र। प्रभुत्व शक्ति का आदेश कानून है और इस आदेश की अवहेलना करने वाला दण्ड का भागी होता है।

Scanned with CamScanner